

असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ਂ. 112] No. 112] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 21, 2018/फाल्पुन 30, 1939

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 21, 2018/PHALGUNA 30, 1939

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

# अधिसूचना

नई दिल्ली. 19 मार्च. 2018

फा. सं.1-100/एस पी पी ए आर-अधिसूचना/सीटीआर/एफएसएसएआई-2016.—कितपय विनियमों का प्रारूप खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अविषष्ट) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना 1-100/एस पी पी ए आर-अधिसूचना/सीटीआर/एफएसएसएआई-2016, तारीख 18 अप्रैल, 2017, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया था, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप या सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ, जनता को 25 अप्रैल , 2017 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों या सुझावों पर विचार किया गया है;

अत:, अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 20 और 21 के साथ पिठत धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (संदूषक, आविष और अविशष्ट) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, अविष तथा अविशष्ट) प्रथम संशोधन विनियम, 2018 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, अविष तथा अविषष्ट) विनयम, 2011, के विनियम 2.3, के उप-विनियम 2.3.1,-
- (1) खंड (2) की सारणी में,-
  - क) एल्ड्रिन, डाइल्ड्रिन (एल्ड्रिन और डाइल्ड्रिन अकेले या संकुक्त रूप से लागू होती है और उन्हें डाइल्ड्रिन के रुप में अभिव्यक्त किया जाता है) से संबंधित क्रम संख्या 1 तथा स्तम्भ (3) और (4) में इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
  - ख) 'क्लोरडेन (अवशेष को सिस प्लस और ट्रान्स क्लोरडेन के रूप में मापा जाएगा)" से संबंधित क्रम संख्या 3 तथा स्तम्भ (3) और (4) में इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
  - ग) "डी.डी.टी (डी.डी.टी., डी.डी.डी. और डी.डी.ई. पर अकेले या संयुक्त रूप से लागु होती है)" से संबंधित क्रम संख्या 4 तथा स्तम्भ (3) और (4) में इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
  - घ) "डी.डी.टी (एकल)" से संबंधित क्रम संख्या 5 तथा स्तम्भ (3) और (4) में इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
  - ङ) "डी.डी.डी (एकल)" से संबंधित क्रम संख्या 6 तथा स्तम्भ (3) और (4) में इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
  - च) "डी.डी.ई (एकल)" से संबंधित क्रम संख्या 7 तथा स्तम्भ (3) और (4) में इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
  - छ) "डाईजिनोन" से संबंधित क्रम संख्या 8 तथा स्तम्भ (3) और (4) में इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
  - ज) "एन्डोसल्फान (अविशिष्टों को एन्डोसल्फान ए और बी और एन्डोसल्फान-सल्फेट के कुल योग के रुप में व्यक्त किया जाएगा)" से संबंधित क्रम संख्या 12 तथा स्तम्भ (3) और (4) में इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
  - झ) "एन्डोसल्फान-ए" से संबंधित क्रम संख्या 13 तथा स्तम्भ (3) और (4) में इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
  - ञ) "एन्डोसल्फान-बी" से संबंधित क्रम संख्या 14 तथा स्तम्भ (3) और (4) में इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
  - ट) "एन्डोसल्फान-सल्फेट" से संबंधित क्रम संख्या 15 तथा स्तम्भ (3) और (4) में इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
  - ठ) "फैनिट्रोथियम" से संबंधित क्रम संख्या 16 तथा स्तम्भ (3) और (4) में इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
  - ड) "हेप्टाक्लोर (हेप्टाक्लोर और उसके अपोक्साईड की सम्मिलित अवशिष्ट को हेप्टाक्लोर के रुप में अवधारित और व्यक्त किया जाएगा)" से संबंधित क्रम संख्या 17 तथा स्तम्भ (3) और (4) में इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

- ढ) "गामा (λ) आईसोमर (जिसे लिंडेन के रुप में जाना जाता है)" से संबंधित क्रम संख्या 21 तथा स्तम्भ (3) और (4) में इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- ण) "पैराथोन मैथिल" (पैराथोन मैथिल और इसके ऑक्सीजन एनालॉग की सम्मिलत अविशष्टों को पैराथोन मैथिल के रुप में अवधारित और व्यक्त किया जाएगा)" से संबंधित क्रम संख्या 24 तथा स्तम्भ (3) और (4) में इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- त) "फोरमथायन" (डायनोथूईट तथा इसके ऑक्सीजन अनुरूप के रूप में अवधारित और डाईमेथोएट के रूप में अभियक्त किया जायेगा सिवाय इसके कि सिट्रस फल के मामले में जंहा इसे फॉरमोथाईन के रूप में अवधारित किया जायेगा) से संबंधित क्रम संख्या 32 तथा स्तम्भ (3) और (4) में इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- थ) "मोनोक्रोटोफॉस" से संबंधित, क्रम संख्या 33 के सामने स्तम्भ (3) और (4) की निम्नलिखित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा,अर्थात;-

•	
- खाद्य	सहन सीमा मि.ग्रा./कि.ग्रा.(पी.पी.एम्.)
(3)	(4)
"गाजर, शलजम, आलू और चुकंदर	0.05
प्याज और मटर	0.1
अन्य सब्जियां	0.2"

- द) "एल्डीकार्ब (एल्डीकार्ब उसके सल्फोक्साईड और सल्फोन का योग जो एल्डीकार्ब के रुप में अभि व्यक्त हो)" से संबंधित क्रम संख्या 40 तथा स्तम्भ (3) और (4) में इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- प) "फैन्थियोन (फैन्थियोन और इसके ऑक्सीजन एनालॉग तथा उनके सल्फोक्साईड तथा सल्फोन्स का योग जिन्हें फैन्थियोन के रुप में व्यक्त किया जाता है) से संबंधित क्रम संख्या 50 तथा स्तम्भ (3) और (4) में इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- फ) क्रम संख्या 52 में स्तम्भ 2 के मद (क) की प्रविष्टियो "फर्बम या जीरम के उपयोग से परिणामी डाइमिथाइल डाइथाईलकाब्रोमेट्स अविष्टि" के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात-"जीरम के उपयोग के परिणामस्वरूप डाइमिथाइल डाइथाईलकाब्रोमेट्स के अवशेष"
- ब) "सिमेजाईन" से संबंधित क्रम संख्या 55 तथा स्तम्भ (3) और (4) में इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- भ) "कैप्टाफोल" से संबंधित क्रम संख्या 60 तथा स्तम्भ (3) और (4) में इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (II) खण्ड (2) और तदधीन होने वाली सारणी के पश्चात किन्तु स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-
- "(3) स्तम्भ 2 में उल्लेखित निम्नलिखित कीटनाशक, कीटनाशी अधिनियम 1968(1968 का 46) के अनुसार पाबंदी हैं:-

क्र.सं	कीटनाशी का नाम
1.	एल्डीकर्ब
2.	एल्ड्रिन, डायएल्ड्रिन
3.	क्लोरडेन
4.	हेप्टाक्लोर
5.	लिंडेन गामा-एचसीएच) गामा (γ) आईसोमर (लिंडेन के रूप में जाना जाता है)
6.	एन्डोसल्फेन
7.	कार्बोफुरन 50 प्रतिशत.एसपी
8.	मेथोमाईल 12.5 प्रतिशत एल और मेथोमाईल 24 प्रतिशत सूत्रीकरण
9.	फास्फोमिडियन 85 प्रतिशत एसएल
10.	कैप्टाफोल 85 प्रतिशत। चूर्ण
11.	फर्बेम
12.	फॉरमोथियोन
13.	सिमेजाईन
14.	डाईजिनोन (घरेलू उपयोग के अलावा कृषि में उपयोग के लिए पाबंदी)
15.	डी.डी.टी (कृषि उपयोग के लिए प्रतिबंधित)
16.	फेनिट्रिथायन (अनुसूचित रेगिस्थानी क्षेत्रों में टिड्डी नियंत्रण तथा सार्वजनिक स्वास्थ के अलावा कृषि उपयोग के लिए पाबंदी)
17.	फेनिथयोन (अनुसूचित टिड्डी नियंत्रण, घरेलू उपयोग और लोक स्वास्थ के सिवाए कृषि में पाबंदी)
18.	मिथाईल पैराथियोन 50 प्रतिशत। ईसी तथा 2 प्रतिशत। डीपी सूत्रीकरण (फलों तथा सब्जियों में उपयोग के लिए पाबंदी)
19.	इथाइल पैराथियोन
20.	मोनोक्रोटोफॉस (सब्जियों पर उपयोग के लिए पाबंदी)

टिप्पण : डीडीटी को छोड़कर, जिसके लिए 0.05 एमजी/िकग्रा होगा, ऊपर उल्लिखित प्रतिबंधित कीटनाशकों की बाह्य एमआरएल 0.01 मि.ग्रा. /िकग्रा होगी।"

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी [विज्ञापन-III / 4 / असा. / 483 / 17]

टिप्पण : मुख्य विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. फाइल सं. 2-15015/30/2010, दिनांक 1 अगस्त, 2011 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित की गई:

- (i) फा. सं. 1-12/एससीआई. पैनल/(अधिसूचना)/एफ.एस.एस.ए.आई./2012, तारीख 3 दिसम्बर, 2014;
- (ii) फा. से. पी.15025/264/13-पी.ए./एफ.एस.एस.ए.आई., तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- (iii) फा. सं. 1-99/1/एस.पी.(संदूषक)/एफ.एस.एस.ए.आई./2009, तारीख 4 नवम्बर, 2015;

- (iv) फा. सं. 1-99/4/एस.पी.(संदूषक)/एफ.एस.एस.ए.आई./2014, तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- (v) फा. सं. 1-10(6)/मानक/एस.पी.(मछली और मत्स्य उत्पाद)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2013, तारीख 4 जनवरी, 2016;
- (vi) फा. सं. पी.15025/264/13-पी.ए./एफ.एस.एस.ए.आई., तारीख 5 जनवरी, 2016;
- (vii) फा-सं. पी सं. पी .15025/264/13 –एफ.एस.एस.आई , तारीख 3 मई, 2016;
- (viii) फा.सं.1-99/एसपी(कन्टैम्नेन्ट्स)/आरईजी/एफएसएसएआई/2015, तारीख 10 अक्टूबर, 2016
- (ix) फा.सं. 1-10(2)/मानक/एसपी(मछ्ली और मछ्ली उत्पाद)/एफ़एसएसएआई -2013, तारीख 18 जनवरी, 2017;
- (x) फा.सं. पी/15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 21 जुलाई, 2017 और;
- (xi) फा.सं. पी/15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई-2017, तारीख 27 दिसम्बर, 2017।

### MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2018

**F. No. 1-100/SPPAR-NOTIFICATION-CTR/FSSAI/2016.**—Whereas the draft of certain regulations, further to amend the Food Safety and Standards (Contaminants, toxins and Residues) Regulations, 2011, was published as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number 1-100/SPPAR-Notification-CTR/FSSAI/2016, dated the 18<sup>th</sup> April, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections or suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 25<sup>th</sup> April, 2017;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 92 read with section 20 and 21 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Contaminants, toxins and Residues) Regulations, 2011, namely:-

- 1. **Short title and Commencement.-** (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Contaminants, toxins and Residues) first Amendment Regulations, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Food Safety and Standards (Contaminants, toxins and Residues) Regulations, 2011, in regulation 2.3, in sub-regulation 2.3.1,-
  - (I) in clause (2), in the Table,-
    - (a) serial number 1 relating to Aldrin, dieldrin (the limits apply to aldrin and dieldrin singly or in any combination and are expressed as dieldrin) and the entries relating thereto in columns (3) and (4) shall be omitted;
    - (b) serial number 3 relating to "Chlordane (residue to be measured as cis plus trans chlordane)" and the entries relating thereto in columns (3) and (4) shall be omitted;

- (c) serial number 4 relating to "D.D.T. (The limits apply to D.D.T., D.D.D. and D.D.E. singly or in any combination)" and the entries relating thereto in columns (3) and (4) shall be omitted;
- (d) serial number 5 relating to "D.D.T. (singly)" and the entries relating thereto in columns (3) and (4) shall be omitted;
- (e) serial number 6 relating to "D.D.D. (singly)" and the entries relating thereto in columns (3) and (4) shall be omitted:
- (f) serial number 7 relating to "D.D.E. (singly)" and the entries relating thereto in columns (3) and (4) shall be omitted;
- (g) serial number 8 relating to "Diazinon" and the entries relating thereto in columns (3) and (4) shall be omitted;
- (h) serial number 12 relating to "Endosulfan (residues are measured and reported as total of endosulfan A and B and endosulfan-sulphate)" and the entries relating thereto in columns (3) and (4) shall be omitted;
- (i) serial number 13 relating to "Endosulfan A" and the entries relating thereto in columns (3) and (4) shall be omitted;
- (j) serial number 14 relating to "Endosulfan B" and the entries relating thereto in columns (3) and (4) shall be omitted;
- (k) serial number 15 relating to "Endosulfan Sulphate" and the entries relating thereto in columns (3) and (4) shall be omitted;
- (1) serial number 16 relating to "Fenitrothion" and the entries relating thereto in columns (3) and (4) shall be omitted;
- (m) serial number 17 relating to "Heptachlor (combined residues of heptachlor and its epoxide to be determined and expressed as Heptachlor)" and the entries relating thereto in columns (3) and (4) shall be omitted;
- (n) serial number 21 relating to "Gamma (λ) Isomer (Known as Lindane)" and the entries relating thereto in columns (3) and (4) shall be omitted;
- (o) serial number 24 relating to "Parathion methyl (combined residues of parathion methyl and its oxygen analogue to be determined and expressed as parathion methyl)" and the entries relating thereto in columns (3) and (4) shall be omitted;
- (p) serial number 32 relating to "Formothion (Determined as dinethoate and its oxygen Analogue and expressed as dimethoate except incase of citrus fruits where it is to be determined as formothion)" and the entries relating thereto in columns (3) and (4) shall be omitted;
- (q) against serial number 33 relating to "Monocrotophos", the following entries in columns (3) and (4) shall be omitted,namely:-

Food	Tolerance limit mg/Kg (ppm)	
(3)	(4)	
"Carrot, Turnip, Potatoes and Sugar beet	0.05	
Onion and Peas	0.1	
Other Vegetables	0.2"	

- (r) serial number 40 relating to "Aldicarb (sum of Aldicarb its sulphoxide and sulphone, expressed Aldicarb)" and the entries relating thereto in columns (3) and (4) shall be omitted;
- (s) serial number 50 relating to "Fenthion (sum of fenthion, its oxygen analogue and their sulphoxides and sulphones expressed as fenthion)" and the entries relating thereto in columns (3) and (4) shall be omitted;

- (t) in serial number 52, for the entries in column (2) of item (a) relating to "Dimethyl dithiocarbamates residue resulting from the use of ferbam or ziram" the following entries shall be substituted, namely;

  "Dimethyl dithiocarbamates residue resulting from the use of ziram";
- (u) serial number 55 relating to "Simazine" and the entries relating thereto in columns (3) and (4) shall be omitted;
- (v) serial number 60 relating to "Captafol" and the entries relating thereto in columns (3) and (4) shall be omitted;
- (II) after the clause (2) and the Table occurring thereunder but before the Explanation, the following clause shall be inserted, namely:-
  - "(3) The following insecticides mentioned in column (2) are banned as per the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968):-

Sl.No.	Name of Insecticide	
1.	Aldicarb	
2.	Aldrin, dieldrin	
3.	Chlordane	
4.	Heptachlor	
5.	Lindane Gamma-HCH) Gamma (γ) Isomer (Known as Lindane)	
6.	Endosulfan	
7.	Carbofuran 50 per cent. SP	
8.	Methomyl 12.5 per cent. L and Methomyl 24 per cent. formulation	
9.	Phosphamidon 85 per cent. SL	
10.	Captafol 80 per cent. Powder	
11.	Ferbam	
12.	Formothion	
13.	Simazine	
14.	Diazinon (Banned for use in agriculture except for household use)	
15.	D.D.T (Withdrawn for use in agriculture)	
16.	Fenitrothion (Banned for use in agriculture except for locust control in scheduled dessert area and publi	
	health)	
17.	Fenthion (Banned in agriculture except for locust control, household and public health)	
18.	Methyl Parathion 50 per cent. EC and 2 per cent. DP formulations (Banned for use in fruits and	
	vegetables)	
19.	Ethyl Parathion	
20.	Monocrotophos (Banned for use on vegetable)	

**Note:** The Extraneous MRL of the above mentioned banned insecticides shall be 0.01 mg/kg except for DDT for which it shall be 0.05 mg/kg."

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./483/17]

- **Note. -** The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, section 4 vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notification numbers--
- (i) F.No. 1-12/Sci.panel/(Notification)/FSSAI/2012 dated the 3rd December, 2014;
- (ii) F.No. P.15025/264/13-PA/FSSAI, dated 4th November, 2015;
- (iii) F.No. 1-99/1/Sp (Containinants)/FSSAI/2009, dated 4th November, 2015;
- (iv) F.No. 1-99/1/Sp (Containinants)/FSSAI/2014, dated 4th November, 2015;
- (v) F.No. 1-10(6)/Standards/SP(Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 4th January, 2016;
- (vi) F.No. P.15025./264/13-PA/FSSAI, dated 5th January, 2016;
- (vii) F. No. P.15025/264/13-PA/FSSAI, dated the 3rd May 2016
- (viii) F. No.1-99/SP (Contaminants)/REG/FSSAI/2015 dated the 10th October, 2016.
- (ix) F. No.1-10(2)/Standards/SP(Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 18th January, 2017;
- (x) F.No. P.15025/264/13-PA/FSSAI, dated 21st July, 2017and
- (xi) F. No. P.15025/264/13-PA/FSSAI-2017, dated 27th December, 2017.